IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

”भारत सरकार अधिनियम 1858:एक विश्लेषणात्मक अध्ययन”

”Government of India Act 1858: An Analytic Study”

Mrs. Priyanka sahu

Assistant professor history

Government model college shahpura ,dindori

Madhya pradesh 482002

एब्स्ट्रैक्ट:-

प्लासी और बक्सर के युद्ध पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक रूप से दृढ़ हो चुकी थी। 1765 की इलाहाबाद की संधि की पश्चात तो कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी का अधिकार अर्थात राजस्व वसूलने का अधिकार व दीवानी मुकदमों पर फैसला करने का अधिकार प्राप्त हो गया।कंपनी एक” पूर्ण प्रभुता संपन्न” शक्ति बन गई थी।एक व्यापारिक कम्पनी का राजनीतिक रूप से इतना सशक्त होना इंग्लैंड के लिए चिन्तनीय तथ्य बनता जा था।सरकार ने कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए कंपनी के शासन संविधान में संशोधन किया और 1773 में एक एक्ट पारित किया ।इतिहास में यही एक्ट ”रेगुलेटिंग एक्ट” के नाम से जाना जाता है।1784 इसवी में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पिट द्वारा एक्ट पारित किया गया।पिट्स इंडिया ऐक्ट द्वारा स्थापित द्वैध शासन पद्धति त्रुटिपूर्ण थी शासन कार्य तथा उत्तरदायित्व को संचालकों, नियंत्रण मंडलों तथा भारत के गवर्नर जनरल में बांट दिया गया था परंतु यह व्यवस्था 1858 तक चलती रही ।लार्ड पार्मस्टन ने फरवरी 1858 में

भारत शासन को उत्तम बनाने का विधेयक संसद के सम्मुख रखा ।1857 की क्रांति ने अब कम्पनी पर अंकुश लगाना आवश्यक बना दिया ।और 1858 का भारत सरकार अधिनियम लाया गया इस अधिनियम के विविध प्रावधान ,कारण उनके प्रभाव को जानना आवश्यक हो जाता है। इस हेतु प्रस्तुत शोध पत्र में विषय का वर्णन किया गया है।

कीवर्ड:- स्वेच्छा,अधिनियम,नवीन व्यवस्था, पूर्ण प्रभुता संपन्न,रेगुलेटिंग एक्ट,हस्तक्षेप,तात्कालिक,ईस्ट इंडिया कंपनी

प्रस्तावना

एक नवीन व्यवस्था का आरंभ महारानी विक्टोरिया की घोषणा सन 1858 के साथ हुआ। घोषणा पत्र में स्पष्ट किया गया कि देसी नरेशो के सम्मान और अधिकारों की रक्षा की जाएगी ।उन्हें स्वेच्छा से गोद लेने का अधिकार होगा ।कंपनी द्वारा उनके साथ की गई संधि व करारो का पालन किया जाएगा। 1857के विद्रोह में भाग लेने वाले विद्रोहियों के साथ दया और क्षमा का व्यवहार किया जाएगा। सभी धर्मों और जातियों के लोगों को बिना किसी पक्षपात के योग्यता अनुसार सरकारी पदों पर नियुक्ति का अवसर प्रदान किया जाएगा। घोषणा में यह भी विश्वास दिलाया गया था कि जनता के धार्मिक विचारों और विश्वासों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा तथा देश की परंपराओं आस्था तथा रीति-रिवाजों का आदर किया जाएगा ।

परंतु भारत शासन अधिनियम की धाराएं एवं प्रावधान जानने के पूर्व किन परिस्थितियों में इस अधिनियम का निर्माण हुआ ,यह जानना अति आवश्यक है ,बिना पृष्ठभूमि की व्याख्या किए, अधिनियम का परिचय अपूर्ण है। यद्यपि सन 1857 की क्रांति भारतीय शासन परिवर्तन का तात्कालिक कारण बनी, तथापि उससे बहुत समय पूर्व ही, इस परिवर्तन के लिए आवश्यक कारण उत्पन्न हो चुके थे ।

परिवर्तन के कारण:-

प्रथम कारण :-1764 में बक्सर का युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दोला तथा मुगल सम्राट शाह आलम व अंग्रेजों के मध्य था। यह युद्ध इलाहाबाद के निकट बक्सर नामक स्थान पर 23 अक्टूबर 1764 को हुआ इस युद्ध में त्रिगुट की पराजय हुई और उन्हें1765 में अंग्रेजों के साथ इलाहाबाद की संधि करने पर विवश होना पड़ा। बक्सर के युद्ध के पश्चात कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी का अधिकार अर्थात राजस्व वसूलने का अधिकार व दीवानी मुकदमों पर फैसला करने का अधिकार प्राप्त हो गया। यहां शक्ति तथा उत्तरदायित्व का पृथक्करण कर दिया गया ।कंपनी इन क्षेत्रों में शासक तो थी किंतु अपने शासन हेतु उत्तरदायी नहीं थी ।अब अंग्रेजी कंपनी एक" पूर्ण प्रभुता संपन्न" शक्ति बन गई थी। कंपनी के राजनैतिक रूप से सुदृढ़ होने पर इंग्लैंड में असंतोष व्याप्त हो गया और यह कहा जाने लगा कि कंपनी, राज्य के अंतर्गत एक, अन्य राज्य उत्पन्न कर रही है ।भारत में इस पर नियंत्रण करना आवश्यक हो गया है।

द्वितीय कारण:- ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी। भारत में इसकी स्थापना का उद्देश्य व्यापारिक था। कंपनी को व्यापार करने के लिए इंग्लैंड की सरकार के द्वारा अधिकार प्रदान किए गए थे। कंपनी को इंग्लैंड की सरकार ने पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर रखी थी, किंतु धीरे-धीरे कंपनी के उद्देश्यों में परिवर्तन आ गया अब कंपनी व्यापार के साथ-साथ भारतीय राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगी। प्लासी और बक्सर के युद्ध के पश्चात जब कंपनी के हाथ में राजनैतिक सत्ता आ गई। तो ऐसी स्थिति में इंग्लैंड की सरकार को कंपनी के कार्यकलापों की ओर ध्यान देना स्वभाविक हो गया था। भारत की राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने के कारण कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब होती चली जा रही थी। अत: ऐसी स्थिति में कंपनी ने 1772 में इंग्लैंड सरकार से 90 लाख पौंड के लिए प्रार्थना की। इंग्लैंड की सरकार ने कंपनी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और कंपनी को 14 लाख पौंड ब्याज पर ऋण प्रदान किया ,साथ ही सरकार ने कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए कंपनी के शासन संविधान में संशोधन किया और 1773 में एक एक्ट पारित किया ।इतिहास में यही एक्ट "रेगुलेटिंग एक्ट" के नाम से जाना जाता है।

1773 इसमें पारित रेगुलेटिंग एक्ट में अनेकानेक दोष विद्यमान थे जब उसे भारत में क्रियान्वित किया गया तो वे सभी दोषों उभरकर सामने आने लगे ।परिणाम स्वरुप शासन में अनेक अव्यवस्था उत्पन्न हो गई अत: ब्रिटिश संसद द्वारा इन दोषों को दूर करने की आवश्यकता महसूस की गई और 1784 इसवी में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पिट द्वारा एक्ट पारित किया गया। अधिनियम द्वारा कंपनी के संविधान में दो प्रमुख परिवर्तन आए पहला, यह कि इंग्लैंड में सरकार का एक विभाग बनाया गया, जिसे नियंत्रण बोर्ड या बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया, जिसका प्रमुख कार्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नीति को नियंत्रित करना था। इस प्रकार शासन की ही दोहरी प्रणाली एक कंपनी द्वारा और दूसरी एक संसदीय बोर्ड द्वारा बना दी गई और यह 1858 तक चलती रही।पिट्स इंडिया ऐक्ट द्वारा स्थापित द्वैध शासन पद्धति त्रुटिपूर्ण थी शासन कार्य तथा उत्तरदायित्व को संचालकों, नियंत्रण मंडलों तथा भारत के गवर्नर जनरल में बांट दिया गया था। अत: अधिकारियों के उद्देश्यों और आदेशों में एकता संभव ना थी ।नियंत्रण मंडल तथा संचालक सभा में झगड़े होते रहते थे। जो शासन प्रबंध की कुशलता के लिए लाभप्रद नहीं थे।लार्ड पार्मस्टन ने फरवरी 1858 में भारत शासन को उत्तम बनाने का विधेयक संसद के सम्मुख रखते हुए स्पष्ट किया कि -"राजनीतिक प्रणाली का यह नियम है, कि सभी प्रशासनिक कार्यों के लिए मंत्रियों का उत्तरदायित्व होना चाहिए परंतु इस मामले में भारत सरकार का मुख्य उत्तरदायित्व एक ऐसी संस्था को दिया हुआ है ,जो संसद के प्रति उत्तरदाई नहीं हैं तथा जो क्राउन द्वारा नियुक्त नहीं की गई है ,अपितु उन लोगों द्वारा निर्वाचित की गई है जिनका भारत के साथ कोई संबंध नहीं हैं,केवल उनके पास भारतीय कंपनी के अंश हैं।" इस प्रकार ब्रिटिश प्रजा एवं सरकार दोनों में इस शासन पद्धति से असंतुष्ट थी और पार्लियामेंट में प्राय: इसकी कटु आलोचना होती रहती थी।

तृतीय कारण:- जब ब्रिटिश सरकार और उसका वातावरण भारतीय प्रशासन में परिवर्तन के लिए अनुकूल हो चुका था तभी 1857 के आकस्मिक विद्रोह ने शासन परिवर्तन का मार्ग एकदम प्रशस्त कर दिया। विद्रोह के कारण संसद का निर्णय और भी दृढ़ हो गया।

तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेब्रिटिश लोकसभा में एक बिल पेश किया। जिसका उद्देश्य भारत में अंग्रेजी प्रदेशों के शासन की भागदौड़ ब्रिटिश सरकार के हाथों में सौपना था।

। चतुर्थ कारणः-कंपनी के जो अधिकारी लौटकर इंग्लैंड पहुंचे वे युवा अवस्था में होते हुए भी बहुत धनी हो गए थे ।वह धन के बल पर समाज में प्रतिष्ठा और संसद में स्थान तक प्राप्त कर रहे थे ।उन व्यक्तियों को "नवाब" कहकर पुकारा जाता था उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे।

ईस्ट इंडिया कंपनी के समाप्ति की पृष्ठभूमि तो पहले से ही तैयार हो चुकी थीं।कंपनी का भ्रष्ट प्रशासन और ब्रिटेन को आर्थिक लाभ ना होने के कारण इंग्लैंड में व्यापक असंतोष फैल चुका था । कंपनी का स्वरूप भी व्यापारिक संस्था ना होकर राजनीतिक हो गया था। इसीलिए इंग्लैंड के व्यापारियों और व्यक्ति वादियो ने कंपनी के एकाधिकार के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया ।भारत में भी कंपनी सरकार को समाप्त करने के लिए आवाज उठने लगी 1857 का विद्रोह कंपनी सरकार को समाप्त करने का तत्कालीन कारण बना और 1857 का विद्रोह विदेशी शासन के विरुद्ध" भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम "था।

पंचम कारण :-1857 का विद्रोह ,अधिनियम पारित होने के लिए तात्कालिक उत्तरदायी कारण था। डॉक्टर सुभाष कश्यप के अनुसार" जहां तक भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के इतिहास का संबंध है ।18 57 के विद्रोह तथा उसके दमन की प्रक्रिया से एक ऐसी कटुता और तल्खी की भावना का जन्म हुआ ।जिसने विदेशी शासन के प्रति अकर्मण्यता के युग का अंत कर दिया तथा एक नवीन युग का आरंभ किया।" प्लासी युद्ध के पश्चात इन 1757 से 18 57 तक 100 वर्षीय भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए बीत चुके थे। इन 100 वर्षों में औपनिवेशिक शासन के चरित्र उस की दमनकारी नीतियों ,शोषण ने जनता के हृदय में संचित असंतोष तथा घृणा को बढ़ावा दिया था ।इसका परिणाम था सन "1857 की क्रांति।" 1857की क्रांति का आरंभ सैनिक असंतोष तथा चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध से माना जाता है ।परंतु यह तो मात्र तात्कालिक चिंगारी थी ।वास्तविक दावानल तो राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक ,सैन्य सभी कारणों में छिपी हुई थी। इसके उद्गार से एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसमें ब्रिटिश सत्ता की नींव को हिला दिया ।यह क्रांति बल पूर्वक अवश्य दमित कर दी गई परंतु उसके लक्षण उत्तरोत्तर परिलक्षित हुए।

विद्रोह के लिए उत्तरदाई कारणों में मुख्य कारणों में से एक राजनीतिक कारण था जिसमें अधिकांश विद्रोह का नेतृत्व उन रियासतों के राजाओं ने किया था ।जिनका अस्तित्व डलहौजी के व्यक्त सिद्धांत द्वारा नष्ट हो गया था या खतरे में था ।पंजाब ,पीगु को डलहौजी ने युद्ध द्वारा विलय कर लिया था ।वही गोद लेने की प्रथा को निषेध कर सातारा ,नागपुर ,जैतपुर, संभलपुर ,बाघाट झांसी, उदयपुर का विलय कर लिया था ।कुशासन के आरोप के द्वारा अवैध और अन्य रियासतों को कंपनी शासन में मिला दिया गया।रियासतों के विलियन ने वहां की जनता को अधिक प्रभावित किया क्योंकि वहां की जनता अपने राजा को अपनी सभ्यता व संस्कृति का संरक्षक के रूप में देखते थे ।भावनात्मक पहलू के आघात के अतिरिक्त यहां की जनता को बहुत आर्थिक हानि भी उठानी पड़ी क्योंकि बहुत से लोग शिल्पकार ,पंडित, शस्त्र निर्माता ,योद्धा संगीतकार आदि पूर्ण रूप से इन राज्यों पर निर्भर थे। वहीं सरकार के भेदभाव पूर्ण

नीतियों के कारण सरकारी उच्च पदों पर भारतीय नियुक्त नहीं हो सकते थे। प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार ने भारतीयों को बुरी तरह प्रभावित किया। पुलिस के छोटे अधिकारी तथा निचली अदालतें भ्रष्ट थीं।जनता तो इन्हें कोढ़ के समान मानते थे ।न्यायालय में भी अब फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को महत्व दिया जाने लगा था। भारतीयों को सेना में ऊंचे से ऊंचा पद जो मिल सकता था वह था,सूबेदार ,जिसे 60 या 70 ₹ मासिक वेतन मिलता था।

ग्राम प्रधान कृषि प्रधान भारत को औप -निवेशक काल ने तबाह कर दिया। जहां ग्रामीण आर्थिक स्वायत्तता को अधिकाधिक लगान वसूली ,स्थाई बंदोबस्त ,महालवाड़ी रैयतवाड़ी व्यवस्था ने ठेस पहुंचाई। अत्यधिक लगान वसूली, समय पर लगाना जमा होने से भूमि की नीलामी ,महाजनों का बढ़ता शिंकंजा तथा नए जमीदारों के शोषण ने किसानों की स्थिति दयनीय कर दी ।कृषि के साथ परंपरागत हस्तशिल्प उद्योगों नष्ट हो गये। अनेक नगरों के पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया ।शिल्पी ,कामगार ,बेकार हो गए ।कोलकाता ,ढाका ,सूरत ,मुर्शिदाबाद जैसे औद्योगिक केंद्र अपनी गरिमा खो बैठे।

धन का निष्कासन अधिकाधिक होने लगा था ।व्यापार संतुलन भारत के विपरीत हो गया था और दरिद्रता भुखमरी और गरीबी का बोल बाला था।

1857 की क्रांति जितना महत्व अन्य पक्षों का रहा है ।उतना ही सामाजिक, धार्मिक कारणों का भी रहा है। सन 1813 में इसाई धर्म प्रचारकों को इसाई धर्म प्रचार की खुली छूट मिली थी ।जो भारतीयों की संस्कृति पर गहरा आघात पहुंचा रहे थे। वही 1850 में लागू "धार्मिक अयोग्यता नियम"इस को और अधिक गहराते जा रहे थे, जिसके अनुसार धर्म परिवर्तन के बाद भी पुत्र पिता के वंशानुगत संपत्ति से वंचित नहीं हो सकता था। अंग्रेज विजेता होने के कारण भारतीयों के प्रति कठोर और प्रगल्भ थे।जाति भेद की भावना से भी प्रेरित थे ।भारतीयों को असभ्य अंधविश्वासी समझते थे। उनके साथ घृणा और तिरस्कार पूर्ण व्यवहार करते थे। ईसाइयों ने धर्म प्रचार हेतु इतना दूषित वातावरण तैयार कर दिया था, कि लोग अंग्रेजों को धर्म तथा संस्कृति का विनाशक मानने लगे थे।

सैनिक भी आम जनता के कष्ट से अनभिज्ञ नहीं थे वह साथ-साथ उनकी अपनी स्थिति भी कुछ खास नहीं थी भारतीय सेना में जनरल कैनिंग के द्वारा लाया गया "जनरल सर्विस एंड लिस्टमेंट एक्ट" , "डाकघर अधिनियम" आदि ने सैनिकों की समस्याओं को बढ़ा दिया था। उपरोक्त परिस्थितियों ने भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति असंतोष रूपी बारूद ढेर लगा दिया और इस पर चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के आदेश ने चिंगारी का कार्य किया और विस्फोट 1857 की क्रांति के रूप में प्रकट हुआ।

उपरोक्त परिस्थितियों के कारण ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया गया। भारतीय शासन के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत थी। नई प्रशासनिक व्यवस्था की सफलता के लिए महारानी विक्टोरिया ने 1858 में एक शाही घोषणा की। जिसे भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने

इलाहाबाद में आयोजित उस दरबार में पढ़कर सुनाया जिसमें भारत सरकार के लोग तथा देशी रियासतों के राजे महाराजे उपस्थित थे।

अधिनियम के मुख्य उपबंध

1858 के इस अधिनियम को "भारत में उत्तम सरकार" के लिए अधिनियम कहा गया है इस अधिनियम की मुख्य मुख्य धाराओं को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है प्रथम धाराए गृह सरकार से संबंधित उपबंध हैं और द्वितीय भारत सरकार से संबंधित धाराएं या उपबंध है।

1. गृह सरकार से संबंधित उपबंध

a:- भारतीय प्रशासन कंपनी से लेकर सम्राट को हस्तांतरित कर दिया गया।

- b:- भारत में सभी प्रादेशिक तथा अन्य राजस्व देसी रियासतों पर प्रभुसत्ता का अधिकार तथा रियासतों से कर वसूलने का अधिकार भी ताज को दे दिया गया।

c:- अधिनियम द्वारा संचालक मंडल, गुप्त समिति तथा नियंत्रण मंडली के सारे अधिकार और कार्य ब्रिटिश सम्राट के प्रधानमंत्री को सौंप दिए गए तथा उन्हें समाप्त कर दिया गया।ब्रिटिश सम्राट के प्रधानमंत्री को "भारत सचिव" कहा गया।

d:- 15 सदस्यों वाली एक भारतीय परिषद की स्थापना की गई।इसका काम भारत सचिव की सहायता करना था।परिषद के 8 सदस्य सम्राट द्वारा नियुक्त होते थे और 7 सदस्य की नियुक्ति भूतपूर्व संचालकों द्वारा की जाती थी। इनमें से 9 सदस्य वे होते थे जिन्होंने या तो भारत में 10 वर्ष नौकरी की होअथवा जिन्हें नियुक्ति के समय भारत से लौटे हुए 10 वर्ष ना हुए हो।

e:- संचालकों को केवल एक ही बार सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार था।

f:- सदस्यों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति सम्राट द्वारा ही होगी।यह भी स्पष्ट कर दिया गया था।

g:- भारत सचिव ,भारतीय परिषद के सदस्य एवं इंडिया ऑफिस के सभी व्यय भारत राजस्व से देने का निश्चय किया गया।

h:- परिषद के सदस्य सदाचरण तक ही अपने पद पर रह सकते थे। शिकायतों पर संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर सम्राट सदस्यों को पदच्युत सकता था।

i:- परिषद की बैठक सप्ताह में एक बार निश्चित की गई जिसमें कम से कम 5 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य थी।

J:- इंग्लैंड में भारत संबंधी मामलों का निर्देशन का अधिकार भारत सचिव को था।हर पत्रचार या आदेश पर उसके हस्ताक्षर होना भी अनिवार्य थे। भारत या किसी भी प्रदेश में इंग्लैंड को ,प्रेषित प्रेषण, को भारत सचिव को संबोधित करने का प्रावधान था।

k:- परिषद के निर्णय बहुमत द्वारा होते थे ,किंतु भारत सचिव को अधिकार था कि वह उसे माने अथवा ना माने। युद्ध शांति या देशी रियासतों से समझौते के बारे में भारत सचिव को बिना परिषद से पूछे आदेश जारी करने का अधिकार था।

l:- भारत सचिव को कुछ आदेश व पत्र बिना संचालक मंडल के सदस्यों को दिखाएं ही भेजने का अधिकार था।

m:- भारत सचिव परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता था तथा मतभेद होने पर उसे अंतिम निर्णय करने का अधिकार था।

n:- भारत सचिव परिषद का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए कई समितियां बनाकर उसके बीच विभागों का बंटवारा कर सकता था।

o:- भारत सचिव ,वार्षिक कार्यक्रम का ब्यौरा और देश भौतिक तथा नैतिक प्रगति की रिपोर्ट बेटे संसद के सामने रखता था।

p:- भारत सचिव को एक निगम निकाय घोषित किया गया जो भारत और इंग्लैंड में मुकदमा चलाने का अधिकार रखता था।

2 :-भारत सरकार से संबंधित उपबंध:-

a:- सम्राट, भारत के गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसियो के गवर्नर की नियुक्ति भारत सचिव और उसकी परिषद के परामर्श से करते थे।

b:-लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति गवर्नर जनरल सम्राट की स्वीकृति से करता था।

c:- कंपनी के नाविक शक्ति और सैनिक सेवाएं क्राउन की सेवा में बदल गई और उनकी सेवा शर्तों में परिवर्तन का अधिकार क्राउन को दे दिया गया।

d:- भारत की सीमा के बाहर किसी भी सैनिक कार्यवाही पर भारतीय राजस्व बिना संसद की अनुमति के खर्च नहीं किया जा सकता था।

e:- बाहर आक्रमण रोकने अथवा आकस्मिक घटना का सामना करने के लिए ही केवल भारतीय राजस्व खर्च किया जा सकता था।

f:- किसी झगड़े या युद्ध से संबंधित भारत सरकार को दिए गए आदेश को 3 माह के भीतर या संसद की बैठक के 1 माह के अंदर उसके समक्ष रखा जाना चाहिए।

g:- कंपनी द्वारा की गई संधियों का आदर करना तथा उसके सभी अनुबंधों, समझौतों और उत्तरदायित्व को भारत सचिव लागू करेगा।

h:- महारानी की एक घोषणा द्वारा भारत सरकार का ताज हस्तगत करने के संबंध में देसी नरेश और भारतीय जनता को घोषणा की जाएगा।

1858 के अधिनियम का मूल्यांकन का उद्देश्य:

1858 के अधिनियम को भारत के लिए उत्तम सरकार का अधिनियम कहा गया है। यद्यपि इस अधिनियम से भारत के प्रशासन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ,सारा कार्य पुरानी परंपरा के अनुसार नए आवरणों के नींचे राह

कर चल रहा था।शासन कार्य मे किसी भारतीय को भाग नहीं दिया गया । किंतु उसका संवैधानिक तथा क्रांतिकारी महत्व अवश्य है।इन्ही तथ्यों को विश्लेषित करना लेख का मुख्य उद्देश्य हैं।

निष्कर्ष:-इस अधिनियम द्वारा भारतीय इतिहास में एक नई अवधि का सूत्रपात हुआ। कंपनी की सत्ता समाप्त होकर भारतीय संस्था ताज के हाथ में आ गई। भारत के संवैधानिक इतिहास में नए युग का आरंभ हुआ। सरकार के ढांचे में भी परिवर्तन हुआ। पहले शासन का दायित्व संचालक मंडल, नियंत्रण मंडल के हाथ में होता था। किंतु नई व्यवस्था के अनुसार द्वैध शासन के स्थान पर नई व्यवस्था लागू की गई। भारत का शासन भारत सचिव और भारतीय परिषद को सौंप दिया गया। क्योंकि भारतीय परिषद एक स्वतंत्र संस्था थी और इसके सदस्यों को भारतीय समस्याओं का पूरा ज्ञान होता था। गौरव ,शक्ति और अधिकार का प्रतीक भारत सचिव का पद भी इस अधिनियम की ही देन है ।साधारण सुधारों के साथ ब्रिटिश शासन के अंत काल तक चलती रही। इस अधिनियम के द्वारा विदेशी शासकों देशी रियासतों के बीच मधुर संबंध स्थापित हुए। सरकार ने घोषणा की कि राजाओं के गौरव और प्रतिष्ठा का सम्मान करेगी। इस अधिनियम के द्वारा धार्मिक सहनशीलता का सिद्धांत भी रखा गया।

परंतु यदि गहन अवलोकन किया जाए तो इस अधिनियम में भारत सरकार के ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया ।सारा कार्य पुराने ढर्रे पर ही चलता रहा शासन कार्य में किसी भारतीय को भाग नहीं दिया गया और किसी प्रतिनिधि संस्था की स्थापना नहीं की गई ।वही 18 58 के अधिनियम का बुरा परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश संसद के भारतीय शासन में रुचि कुछ कम हो गई ।कंपनी के काल में संसद सक्रिय सर्वेक्षण और आलोचना की दृष्टि से भारतीय मामलों में रुचि लेती थी किंतु अब सब कुछ भारतीय सचिव पर ही छोड़ दिया गया अधिनियम से भारत के आर्थिक पक्षों को भी धक्का लगा भारत सचिव और उसके कार्यकाल का समस्त भारत के राज्य से दिया जाने लगा जिससे भारत पर काफी आर्थिक बोझ पड़ गया।

अंततः ए.बी. कीथ का यह कथन उल्लेखनीय है कि ”कारण जो कुछ भी रहा हो ,लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता ,कि सन1858 के बाद ब्रिटिश सरकार भारतीय मामलों के प्रति सजग नहीं रही जितनी इसके पहले कंपनी के शासन काल में रहे थे और यह बात में से ही सराहनीय नहीं थी।”

संदर्भ ग्रंथ सूचीः-

(1) Majumdar,R.C:- British Paramountcy and the Indian Renaissance:The history and culture of the Indian people. volume 9
(2) Majumdar,R.C.:-The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857
(3) Chaudhuri S.B.:- Civil Rebellion in the Indian Mutinies 1857-59
(4) Chaudhuri S.B:- theories of the Indian Mutiny,1857
(5) Sen,S.N.:- 1857
(6) Chattopadhyay H.P.:--The Sepoy Mutiny of 1857 :A social Analysis
(7) Joshi,P.C.:-Rebellion 1857
(8) Embree A.T.:-1857 in India
(9) Chaudhuri S.B:- English Historical Writing on the Indian Mutiny,1857 -59
(10) Banerjee,A.C.:- Indian Constitutional Document volume 2
(11) Ilbert,C:The Government of India
(12) Keith A.B.:- constitutional history of India
(13) Keith A.B.: Speeches and Document on Indian Policy ,volume 1
(14) Mukherjee,P:- Indian Constitutional Document, volume 1
(15) Singh, G.N.:- Landmarks in Indian Constitutional and National Development

IJCRT